



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
Prof. Krishna Kumar Singh
कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 005/2018/AC-28/01/760

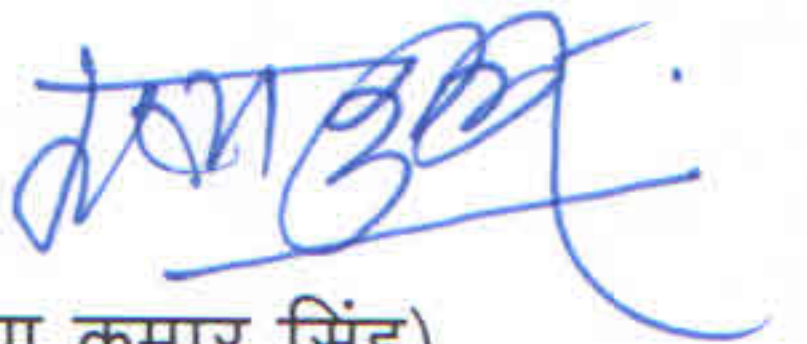
दिनांक : 22.06.2018

परिपत्र

विद्या-परिषद की 28वीं बैठक जुलाई, 2018 माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय के समस्त विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख, अकादमिक संयोजक, सहायक कुलसचिव (स्थापना) एवं परीक्षा प्रभारी से उनके विद्यापीठ/विभाग/केंद्र से प्रस्तावित मुद्दों का विवरण, आवश्यक संलग्नक एवं टिप्पणी सहित उचित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए 02 जुलाई, 2018 तक **श्री राजेश अरोड़ा, सहायक कुलसचिव (परिषद)** को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि विद्या-परिषद की 27वीं बैठक के निर्णयों के संबंध में आपके विद्यापीठ/विभाग/केंद्र द्वारा की गई कार्यवाही से दस्तावेज सहित जानकारी 02 जुलाई, 2018 तक प्राथमिकता के आधार पर **श्री राजेश अरोड़ा, सहायक कुलसचिव (परिषद)** को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, निदेशक एवं क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी।
5. अकादमिक संयोजक।
6. प्रभारी, परीक्षा विभाग।
7. सहायक कुलसचिव (स्थापना)।
8. श्री राजेश अरोड़ा, सहायक कुलसचिव (परिषद)।
9. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
10. कार्यालय प्रति।